को पे...

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

06/02/25 आज यह पत्रावली हस्ते समक्ष पार्टी हाजिर पत्रावली पेश हुई। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रा. पत्र O 23 R 01 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर श्रा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड (कोटपूतली–बहरोड) राज.

FORM NO – III
(नियम–26)
उनवान
हरिराम व अन्य बनाम सुल्तान व अन्य

मुक्दमा वाद नम्बर 79/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मइनिशियल्या जज	तारीख मे जारी हुए
06/02/25	आज यह पत्रावली प्रार्थी/वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी पर पेश हुयी। वकुलाय के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि साबिक खसरा नमबर 1939 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा बर्डोद तहसील बहरोड की स्थित आराजी है। उपरोक्त आराजी पूर्व में केशरसिंह पुत्र रामसिंह व गंगूसिंह ,सरवण सिंह,सबलसिंह पुत्रान कल्लूसिंह जाति राजपूत निवपासी बर्डोद तहसील बहरोड की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि केशरसिंह पुत्र रामसिंह व गंगूसिंह सरवण सिंह ,सबलसिंह पुत्रान कल्लू सिंह ने दिनांक 18.11.66 को खसरा नम्बर 1939 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा बर्डोद में अपना 1/3 हिससा 2000/– रूपये जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के मूला पुत्र सोलू को बेचान कर दिया। केशरसिंह आदि ने ही उपरोक्त आराजी में अपना शेष 1/3 भाग दिनांक 18.11.66 को ही 2000/– में भोन्दू को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दिया। उपरोक्त नीनो बयनामो के आधार पर क्रेतागणो के हक में इन्तकाल मंजूर होकर जमाबन्दी में सभी क्रेतागण के नाम के इन्द्राजात कायम हो रहे है। उपरोक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 1939 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा बर्डोद में किशोरी पुत्र देवीसहाय का कुल हिस्सा 1/6 भाग को भोन्दू पुत्र सोलू ने जरिये रजिस्टर्उ विक्रय पत्र के दिनांक 30.06.84 को 13500/– रूपये जरिये रजिस्टर्ड खरीद कर लिया व वक्त बयनामा से ही क्रेतागण अपने–अपने खरीदशुद्वा भाग पर मौके पर काबिज रह कर काश्त कर रहे है। बन्दोबस्त विभाग संवत 2042 में साबिक नम्बर 1939 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा बर्डोद से नये नम्बर 2739 रकबा 0.16 , ख0न0 2730 रकबा 0.16, ख0न0 2731 रकबा 0.29, ख0न0 2732 रकबा 0.33, ख0न0 2733 रकबा 0. 32 वाके मौजा बर्डोद कायम हुये का आज तक कभी भी हिस्सेदारान के मध्य विभाजन नही हुआ परन्तु प्रतिवादीगण चालाक प्रवृति के व्यक्ति है जिनका खसरा नम्बर 1939 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा में केवल 1/6 भाग था जिसके आधार पर प्रतिवादीगण के हक में केवल 0.16 बिस्वा अर्थात 0.20 हैक्टेयर रकबा आना चाहिए लेकिन प्रतिवादीगण ने महकमा बन्दोबस्त के कर्मचाारियो से मिलकर खसरा नम्बर 2732 रकबा 0.33 अपने नाम अकेले के करवा लिया जो इन्द्राजात मिसल बन्दोबस्त संवत 2042 अभी तक जमाबन्दी में रिपीट हो रहे है जो हम वादीगण साबिक खसरा नम्बर 1939 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2729 रकबा 0.16, ख0न0 2730 रकबा 0.16, ख0न0 2731 रकबा 0.29, ख0न0 2732 रकबा 0.33, ख0न0 2733 रकबा 0.32 वाके मौजा बर्डोद तहसील बहरोड में मूला पुत्र सोलू के वारिसान जो इस दावा में वादीगण है। उपरोक्त कुल आराजीयात में अपना 1/3 भाग व भोन्दू पुत्र सोलू का 1/2 भाग व गिरधारी पुत्र सोलू के वारिसान का 1/6 भाग घोषित करवाकर कुल आराजी मुतनाजा में अपना 1/3 भाग तकसीम करवाने के मुस्तहक है। वादीगण गॉव के साधारण किसान है जो हमें कानून कायदो का ज्ञान नही है व हमने वकील साहब को सभी रजिस्ट्रिया भी दे दी परन्तु वकील साहब ने दावा रक्बा पूर्ति का न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिस दावा के प्लीडिंग के आधार पर वादीगण संख्या 01 लगायत 4 के पिता व 5 लगायत 10 के दादा श्री मूला पुत्र श्री सोलू का जरिये रजिस्ट्रड	

उपखण्ड अधिकारी

विक्रय पत्र के खरीदशुद्वा रकबा पूरा हो सकेगा। साथ ही इस दावे की आराजीयात को लेकर कई मुकदमें न्यायालय श्रीमान के समक्ष ही चल रहे है। साथ ही प्रोपर पक्षकार भी नही बनाये गये जिससे दावा में फोर्मल डिफेक्ट रहने की स्थिति में वादी को न्याय मिलने की सम्भावना नही है। जिस स्थिति में यह दावा न्यायलय श्रीमान की इजाजद से विड्रा किया जाकर पुनः पेश करने की इजाजत प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र की नकल अप्रार्थी के वकील को दी गई। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। स्वीकार नही है। वादीगण ने पद सं0 7 में यह स्वीकर किया है कि कि विवादित आराजी बाबत कई मुकदमें चल रहे है जिससे यह स्पष्ट है कि वादीगण को विवादित आराजी के समस्त राजस्व रिकोर्ड का लगातार ज्ञान रहा है और जिससे यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी का सेटेलमेन्ट हाल के समय अथवा पूर्व में ही सह खातेदारान के मध्य विभाजन हो गया जिस विभाजन की सहमति सैटिलमेन्ट अधिकारीगण एवं बमला माल के समक्ष करने कर ही विवादित आराजी के कायम जये खसरा नम्बर पर विधि अनुसार अलग–अलग खातेदारी सेटिलमेन्ट रिकार्ड एवं इसके पश्चाम के ताहाल तक लगभग 40 साल के रिकार्ड में की जाती आ रही है जिस अनुससार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2732 रकबा 33 ऐयर का समस्त राजस्व रिकार्ड हम प्रतिवादीगण के हक में विधि अनुसार है जिस पर हम प्रतिवादी सं0 1 लगायत 04 अधिकार पूर्वक काबिज काश्तकार है। वादीगण द्वारा उनवानी दावा अपने दस्तावेज के आधार पर एंव अपने पर्लिक्यूलर के आधार पर एवं अपने हस्ताक्षर अंगुठा निशान लगा कर पेश किया गया है एवं तसदीक इबारत में दावा के पदो ,विवरण को अपनी निजि ज्ञान से सही होना स्वीकार किया गया है। वादीगण ने महज प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने हेतु उनवानी दावा पेश किया और अब उसे विड्रासे हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। मानीया श्रीमान के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा खारिज फरमाया जाये विकल्प में यदि वादीगण को दावा विड्रो की इजाजत दी जाती है। तो हम प्रतिवादीगण को वादीगण से 30000/–रूपये विशेष हर्जा दिलवाया जाने की कृपा करें।

वकुलाय फरिकेन की बहस सुनी। पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादीगण ने साबिक खसरा नम्बर 1939 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 2729 रकबा 0.16, ख0न0 2730 रकबा 0.16, ख0न0 2731 रकबा 0.29, ख0न0 2732 रकबा 0.33, ख0न0 2733 रकबा 0.32 वाके मौजा बर्डोद तहसील बहरोड में मूला पुत्र सोलू के वारिसान है। दावा के प्लीडिंग के आधार पर वादीगण संख्या 01 लगायत 4 के पिता व 5 लगायत 10 के दादा श्री मूला पुत्र श्री सोलू का जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र के आधार पर खरीदशुद्वा रकबा पूरा करवाये जाने तथा मौजूदा वाद में प्रोपर पक्षकार भी नही बनाये जाने व दावा में फोर्मल डिफेक्ट रहने की स्थिति में दावा विड्रा किया जाकर पुनः दावा पेश करने की इजाजत चाही गई है। प्रतिवादी द्वारा उक्त दावा विड्रो नही किये जाने के क्रम में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है। जिस सूरत में प्रार्थीगण/वादीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को पुनः दावा प्रस्तुत करने की इजाजत के साथ वाद पत्र विड्रो किया जाता है।

आज दिनांक 06/02/25 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

06/02/25	आज यह पत्रावली पेश हुई। अनुसार उप॰ 1 मूल वाद को वादी के प्रा॰पत्र पर वापिस लिया जा चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर खारिज हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)